झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांकः– न0नि0वि0–8 / 2019– 260

सेवा में,

श्रीमति अंजली केसरी,

पति– श्री संजय कुमार केसरी;

करकेन्द, धनबाद।

धनबाद, दिनांकः– 18 / 10 / 2019

विषयः– आवासीय / व्सवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0– 55 / 18–19 सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक– 26.09.2018 के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या–2016, दाखिल खारिज अभिलेख संख्या–1956 / R27 जमाबंदी संख्या–Vol No.–03, Receipt No.- 0866143015 से निर्गत लागान रसीद वर्ष–2018–19 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0– 55 / 18–19 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि बड़ा–पिछड़ी मौजा सं0–86 अन्तर्गत खाता सं0–20, प्लॉट नं0–2515, रकवा– 03.21 डी0 भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री ऐ0 कुमार की देख–रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 03 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावारण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार / नेशलन विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू0–18660 / = का बैंक ड्रफ्ट सं0–501976, दिनांक–15 / 10 / 2019 जमा किया गया है।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजाती में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने / होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

17/x/19

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।

17.10.19

17/10/19